



वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

परिपत्र सं. ०५ / २०२६
Circular No. ०५ / २०२६

Subject:- Mandatory Enrollment on iGOT Karmayogi Platform and Timely Completion of Assigned Courses – reg

यह देखा गया है कि SEEPZ-SEZ के केवल सीमित संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने ही iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराया है।

इस संबंध में, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि यदि उन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, तो वे तुरंत iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराएं और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी निर्धारित/अनिवार्य पाठ्यक्रम पूरे करें।

इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के एपीएआर का मूल्यांकन करते समय, मंत्रालय के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, आईजीओटी कर्मयोगी नामांकन और पाठ्यक्रम पूर्णता के अनुपालन को विधिवत ध्यान में रखा जाएगा।

सभी अनुभाग प्रमुखों को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और अपने नियंत्रण में कार्यरत अधिकारियों के नामांकन और पाठ्यक्रम पूर्णता की स्थिति की निगरानी करनी होगी।

नियमों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

It has been observed that only a limited number of officers and staff of SEEPZ-SEZ have enrolled themselves on the iGOT Karmayogi platform.


In this regard, all officers and staff are hereby directed to immediately enroll themselves on the iGOT Karmayogi platform, if not already done, and complete all assigned/mandatory courses well within the prescribed timelines.

It is further informed that compliance with iGOT Karmayogi enrollment and course completion shall be duly taken into account while assessing the APAR of the concerned officers/officials, as per extant instructions of the Ministry.

All Section Heads shall ensure strict compliance of the above directions and monitor the status of enrollment and course completion of officials working under their control.

Non-compliance shall be viewed seriously.

This issues with the approval of the Competent Authority.


30-1-26

(मयुर मानकर)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज-सेज़

Copy to:-

1. सभी अधिकारी / कर्मचारी, सीप्ज़-सेज़ / All Officers / Officials, SEEPZ-SEZ
2. विआका/संविआका/उविआका/विअ / DCO/JDCO/DDCO/SO
3. सीप्ज़ वेबसाइट / SEEPZ Website